ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

1 श्री जीवन कुमार 1-4-2013 से 22-1-2016

2 श्री हसन कुमार 23-1-2016 से लगातार

सचिव:-

1 श्री शैलंदर सिंह 1-4-2013 से 17-1-2014

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-10	अनुदान उपयोग न करना	5.48
2	पैरा-11	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.10
3	पैरा-12	बिज्ञापन के लिए अनुचित भुगतान	0.08

4	पैरा-14	मनरेगा में खुले बाजार से सीमेंट क्रय करना	0.66
5	पैरा-15	मनरेगा में सीमेंट के मूल बिल अभिलेख में उपल्ब्ध न होना	2.10
6	पैरा-16	निर्माण कार्य राधास्वामी सत्संग घर डंगा PHASE 1 के बारे में	-
7	पैरा-19	कार्य स्थल पर एकत्रित की मदों को निर्माण कार्य में प्रयोग न करना	4.29
8	पैरा-20	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	12.97
9	पैरा-21	मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	7.69

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता , विकास खण्ड गगरेट , जिला ऊना के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13/2/2017 से 16/2/2017 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	9/2013	12/2013
2014-15	3/2015	9/2014
2015-16	7/2015	8/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता , विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39/2017 दिनांक 16-2-2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा सहकारी बैंक सीमित के बैंक ड्राफ्ट संख्या 328730 दिनांक 20-2-2017 द्वारा प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) **स्वः स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	413390	125567	538957	320535	218422
2014-15	218422	115711	334133	143261	190872
2015-16	190872	91894	282766	170681	112085

(2) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	479461	5062646	5542107	5135378	406729
2014-15	406729	6952131	7358860	7139508	219352
2015-16	219352	4368671	4588023	4040049	547974

5 बैंक समाधान विवरणी:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों मे अंतर शून्य था जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष ₹**112085**

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹**547974**

योग ₹660059

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	के.सी.सी.बी. पंजाबर	20067053092	503354-00
2	के.सी.सी.बी. पंजाबर	20067053105	2154-00
3	के.सी.सी.बी. पंजाबर	20067009542	00-00
4	के.सी.सी.बी. पंजाबर	20067053116	00-00
5	के.सी.सी.बी. पंजाबर	20067009553	154551
		Total	**660059**
		Cash in hand	
		GENERAL CASH BOOK	00
		MNREGA	00
		Hariyali	00
		IAY	00
		TOTAL	**660059**

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.35 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत सचिव वडेरा राजपूता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹35000 वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर:

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	900-00	35000-00	35000-00	35900-00	-
2014-15	-	35000-00	35000-00	35000-00	-
2015-16	-	35000-00	35000.00	-	35000

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 अत्याधिक हस्तगत राशि शेष बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत नगद राशि मात्र एक हजार तक अपने पास रखी जा सकती है। ग्रांम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गयी जिसका विवरण इस प्रकार है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाये।

दिनाकं	नगद शेष राशि
17-7-2013 से 21-8-2013	5129
4-10-2013 से 27-10-2013	39410
27-10-2013 से 6-11-2013	2149
3-1-2014 से 18-1-2014	5699
21-3-2015 से 30-3-2015	45896
16-6-2015 से 29-6-2015	9728
7-7-2015 से 13-7-2015	2318

9 रसीदें जारी न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज[वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5 (1) के अनुसार" जब ग्राम पंचायत द्वारा राशि प्राप्त

की जाती है तो ग्राम पंचायत का सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "साधारण नियम" कहा गया है) से सलंगन प्रारूप-3 पर अमिट स्याही से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रसीद धन संदत्त करने वाले व्यक्ति/निधिकरण, अभिकरण को जारी करेगा और इसका प्रति रूपण कार्यालय में रखा जायेगा। परन्तु ग्राम पंचायत ने प्राप्त की गयी राशि की कोई भी रसीद जारी नहीं की गई जोकि अनियमित था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में नियमानुसार रसीदें जारी की जानी सुनिश्चित की जाये।

10 अनुदान ₹5.48 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक अनुदान ₹547974 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

11 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.10 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार PS में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹10000 ऋणात्मक दर्शाई गयी है जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन अथवा किसी अन्य योजना से भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियामानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए अनु पालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 विज्ञापन के लिए ₹0.08 का अनुचित भुगतान

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8(झ) के अनुसार" ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों के प्रचार पर प्रतिबर्ष अधिकतम ₹2000 ही व्यय किया जा सकता है"। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 75 मास 11/2013 के द्वारा ₹10,000 का भुगतान विज्ञापन के लिया किया गया जो कि नियमानुसार निर्धारित दर से ₹8000 अधिक है! अत: ₹8000 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

13 निविदाओं के बिना क्रय करना

ग्राम पंचायत वडेरा राजपूता द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय की गयी निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर, बजरा इत्यादि का क्रय बिना निविदाओं के किया गया है जिसके अभाव में दरों के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: बिना निविदाओं के क्रय करने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए।

14 मनरेगा में खुले बाजार से ₹0.66 लाख का सीमेंट क्रय करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा कर्ण जनरल स्टोर से 2OO बैग सीमेंट ₹330 प्रति बैग की दर से ₹66000 का भुगतान किया गया परन्तु सीमेंट का क्रय बिना अनापति प्रमाण पत्र के खुले बाजार से किया गया जिस का नियमानुसार कारण स्पष्ट किये जाए|

वाउचर संख्या	मास	मात्रा	दर	राशि
58	9/2014	100	330	33000
64	9/2014	100	330	33000
		योग		**66000**

15 मनरेगा में सीमेंट के ₹2.10 लाख के मूल बिल अभिलेख में उपल्ब्ध न होना

जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट का क्रय करने के लिए हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को निम्न प्रोफोर्मा इनवॉइस के विरुद्ध ₹210240 अग्रिम राशि का भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से कब सीमेंट प्राप्त किया गया सीमेंट आपूर्ति के बिल अभिलेख में न थे। इसके अतिरिक्त प्रोफोर्मा इनवॉइस के विरुद्ध किये गये भुगतान के आदेश ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा न तो पारित किये गये हैं और न ही इन्हें सत्यापित किया गया है। अत: यह मामला विशेष रूप से आवश्यक जाँच हेतु खंड विकास अधिकारी गगरेट के ध्यान में लाया जाता है। मूल बिलों के अभाव में मस्टरोल पर दर्ज अवधियों की भी वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी।

बा.सं.	मास	संख्या प्रोफोर्मा इनवॉइस	दिनांक	दर	राशि
33	8/2015	0059471	1-7-2015	200	52560
34	8/2015	0059469	1-7-2015	200	52560
35	8/2015	0059470	1-7-2015	200	52560
48	8/2015	0059496	22-8-2015	200	52560
				कुल योग	**210240**

16 निर्माण कार्य राधास्वामी सत्संग घर डंगा PHASE1 के बारे में:-

मनरेगा रोकड़ वही के अनुसार निर्माण कार्य राधास्वामी सत्संग घर डंगा PHASE 1 के भुगतान वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य के लिए मजदूरी तथा सीमेंट का तो भुगतान किया गया परन्तु रेत तथा बजरी की मदों के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है। अत: उक्त मदों के अभाव में सीमेंट का प्रयोग निर्माण कार्य में सम्भव न था तथा चर्चा में तत्कालीन सचिव द्वारा बताया गया कि राधास्वामी सत्संग डेरे के सेवकों द्वारा काफ़ी मात्रा में सीमेंट, रेत, बजरी का दान दिया गया है परन्तु सचिव द्वारा इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं रखा गया है। इस निर्माण कार्य का परीसम्पति रजिस्टर अभी तक तैयार नहीं किया गया है। अत: यह मामला आवश्यक जाँच हेतु ग्राम पंचायत उच्चाधिकारियो के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है।

बा.सं.	मास	मस्ट्रोल	सीमेंट	रेत	बजरी	टिप्पणी
3	5/2014	-	100bags=21250	-	-	
23	6/2014	103950	-	-	-	
28	7/2014	99484	-	-	-	
33	7/2014	100562	-	-	-	
36	9/2014	-	100bags=22200	-	-	
37	9/2014	-	100bags=22200	-	-	
38	9/2014	-	200bags=44400	-	-	
39	9/2014	-	100bags=22200	-	-	
40	9/2014	-	100bags=22200	-	-	
41	9/2014	-	100bags=23405	-	-	
42	9/2014	8672(mistri)	-	-	-	
43	9/2014	4065(mistri)	-	-	-	
44	9/2014	8130(mistri)	-	-	-	
45	9/2014	4065(mistri)	-	-	-	
46	9/2014	4065(mistri)	-	-	-	
72	9/2014	92400(labour)	-	-	-	
75	9/2014	70480(labour)	-	-	-	
76	9/2014	38192(labour)	-	-	-	
80	9/2014	53438(labour)	-	-	-	
83	9/2014	5852(mistri)	-	-	-	
30	8/2015	8343(mistri)	-	-	-	
40	8/2015	132840(labour)	-	-	-	

17 मापन पुस्तिका संख्या 6416 तथा 6449 के काफ़ी पृष्ठ खाली रखे गये हैं जिसके कारण बताये जाए अन्यथा इन पृष्ठों को रद्द किया जाए।

18 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्वि नियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

19 कार्य स्थल पर एकत्रित की गयी ₹4.29 लाख की मदों को निर्माण कार्य में प्रयोग न करना

ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए गए निर्माण कार्य की मापन पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (2)** पर लगाये गये विवरण के अनुसार कार्य स्थल पर ₹428722 की मद "COLLECTION OF MATERIAL " दर्शाई गई है, MATERIAL का विवरण नहीं दिया गया है तथा इस मद के लिए ₹300, ₹320 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया जो कि HPSR 2009 के अनुसार क्रमशः AGGREGATE तथा SAND की दरें हैं। परन्तु अनुदान तथा मनरेगा निर्माण कार्य के WORK REGISTER की जाँच करने पर पाया गया कि AGGREGATE तथा SAND की जो वास्तविक मात्रा प्रयोग होनी थी उसे क्रय किया गया है तथा जो मदें लेबर द्वारा स्थल पर एकत्रित की गई उन्हें प्रयोग में नहीं लाया गया। जबकि एकत्रित की गयी मदों के प्रयोग होने के पश्चात ही बाकी मात्रा को क्रय किया जाना था। उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा ₹428722 का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया है। जिसकी उचित विभागीय जांच कर वसूली सुनिश्चित की जाये।

20 पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की

औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट (3)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1297137 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया , जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है। अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने व उपयोग लेखा तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इस अनियमितता के निपटारे हेतु अभिलेख पूर्ण कर आगामी लेखा परीक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

21 मूल्यांकन के बिना भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17/2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की मूल्यांकन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट (4)** पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹769098 का भुगतान मूल्यांकन के बिना किया गया । अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाये।

22 मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच-एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पथर, सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के संदर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार "परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण **परिशिष्ट (3)** पर दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अत: इस बारे में नियमानुसार अवगत करें।

23 मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-

पंचायत वडेरा राजपूत द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का

औचित्य स्पष्ट किया जाए।

24 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

26 लघु आप्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया है।

27 निष्कर्ष :- लेखाओं में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(V) 24/2017–खण्ड–1–2910–2913 दिनाँकः29.05.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत बडेरा राजपूता, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881